भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1219

जिसका उत्तर 29.07.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल संग्रहण

1219 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रचालनात्मक टोल प्लाज़ाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान इन प्लाज़ाओं से संग्रहित कुल टोल राजस्व और इनके प्रचालन पर हुए खर्च का वर्ष-वार और राज्य-वार क्या ब्यौरा है;

(ग) उन टोल प्लाज़ाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां प्रयोक्ता शुल्क की वसूली बंद कर दी गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार टोलिंग नीति में बदलाव करने का विचार रखती है, जिसमें प्रयोक्ता शुल्क को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रचालनात्मक शुल्क प्लाजाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-क में संलग्न है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक ख में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर शुल्क प्लाज़ाओं की संचालन लागत पर होने वाले व्यय की जानकारी सरकार द्वारा केंद्रीकृत नहीं है, क्योंकि शुल्क प्लाज़ाओं का संचालन विभिन्न कार्यान्वयन विधियों (मोड), जैसे सार्वजनिक वित्त पोषित और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) अर्थात निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) (टोल), टोल-संचालन-हस्तांतरण (टीओटी)/अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट)/ संचालन-रखरखाव-हस्तांतरण (ओएमटी) आदि के तहत किया जाता है और टोलिंग की संचालन लागत पर होने वाला व्यय संबंधित रियायतग्राही (पीपीपी मोड वाले शुल्क प्लाज़ाओं के लिए) / प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी (सार्वजनिक वित्तपोषित मोड वाले शुल्क प्लाज़ाओं के लिए) द्वारा संबंधित रियायत करार/संविदा करार के अनुसार वहन किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा जहां प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण बंद कर दिया गया है, का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक ग में संलग्न है।

(घ) सरकार ने समय-समय पर राजमार्ग विकास के लिए राजस्व आवश्यकताओं और सड़क प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टोल नीति की समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित संशोधनों के माध्यम से विभिन्न प्रावधान किए हैं:

(i) सा.का.नि 388 (अ) दिनांक 17.06.2025 गैर-वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैनों के लिए वार्षिक पास की शुरुआत करता है। यह योजना 3000/- रुपये (तीन हजार रुपये) (वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,075/- रुपये) के भुगतान पर 200 एनएच शुल्क प्लाजा क्रॉसिंग या एक वर्ष की वैधता, जो भी पहले हो, प्रदान करती है।

(ii) सा.का.नि. 437(अ) दिनांक 01.07.2025 अधिक संरचना लंबाई वाले राजमार्गों के लिए प्रयोक्ता शुल्क को सीमित करता है।

(iii) सा.का.नि 734 (अ) दिनांक 03.10.2025 बिना फास्टैग वाले वाहनों या सक्रिय फास्टैग वाले वाहनों के लिए लागू प्रयोक्ता शुल्क में 2 गुना से 1.25 गुना तक की कमी, बशर्ते प्रयोक्ता यूपीआई के माध्यम से भुगतान का विकल्प चुनता हो;

(iv) सा.का.नि 01(अ) दिनांक 31.12.2025, 2 लेन पेव्ड शोल्डर हाईवे से 4 या अधिक लेन में उन्नयन करने के मामले में दरों में कमी करता है।

(v) सा.का.नि 107 (अ) दिनांक 04.02.2026 के अनुसार, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के उपयोग के लिए देय शुल्क, जो कि इसकी अधिसूचित लंबाई के केवल एक भाग के लिए ही चालू है, लागू शुल्क के 1.25 गुना के बजाय एक गुना की दर से लगाया जाएगा।

सरकार टोल प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रयोक्ता के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और रखरखाव के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

अनुलग्नक क

'राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल संग्रहण' के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे के द्वारा दिनांक 29.07.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1219 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रचालनात्मक शुल्क प्लाजाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	59	64	66	72	85
असम	9	9	9	10	12
बिहार	25	25	30	38	43
छत्तीसगढ़	15	21	21	23	25
दिल्ली	0	0	0	0	2
गोवा	0	0	0	0	1
गुजरात	38	39	43	54	66
हरियाणा	37	47	58	75	80
हिमाचल प्रदेश	2	2	4	3	4
जम्मू और कश्मीर	4	6	6	6	6
झारखंड	12	15	16	21	25
कर्नाटक	46	52	54	60	68
केरल	6	7	8	8	11
मध्य प्रदेश	64	68	80	89	98
महाराष्ट्र	59	66	83	92	105
मेघालय	4	4	4	3	3
ओडिशा	22	25	25	30	31
पंजाब	28	33	38	39	46
राजस्थान	103	117	140	158	172
तमिलनाडु	54	64	66	78	82
तेलंगाना	28	32	32	35	36
उत्तर प्रदेश	86	103	117	134	141
उत्तराखंड	6	6	6	7	8
पश्चिम बंगाल	26	27	31	33	33

अनुलग्नक ख

'राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल संग्रहण' के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे के द्वारा दिनांक 29.07.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1219 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण:

राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	2434.42	3273.86	3502.27	3718.55	4399.768
असम	299.48	465.90	486.49	547.56	669.113
बिहार	1271.55	1566.07	1720.81	2036.94	2224.639
छत्तीसगढ़	481.89	865.75	1009.74	1146.65	1299.449
दिल्ली	1167.91	1786.08	2558.26	3016.73	142.371
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	1.202
गुजरात	3642.40	4518.96	4851.04	5450.20	6352.377
हरियाणा	485.62	1518.72	2072.34	1956.38	4024.465
हिमाचल प्रदेश	37.11	55.64	113.97	171.00	95.167
जम्मू और कश्मीर	194.81	409.96	436.86	507.56	502.002
झारखंड	422.19	607.32	818.21	894.55	1147.524
कर्नाटक	2351.26	3516.79	4086.18	4320.27	4779.370
केरल	215.66	460.71	562.71	579.22	606.154
मध्य प्रदेश	2472.96	3184.62	3858.43	4188.15	4343.552
महाराष्ट्र	3386.20	4660.21	5352.53	6102.79	7053.711
मेघालय	88.47	93.61	95.82	83.75	90.315
ओडिशा	685.64	1274.49	1745.10	1856.10	2104.775
पंजाब	293.47	1188.16	1491.94	1574.03	1762.571
राजस्थान	3940.03	5053.58	5697.04	6289.22	7317.512
तमिलनाडु	2695.78	3817.49	4221.50	4459.41	4708.188
तेलंगाना	1380.04	1826.27	2097.57	2310.87	2326.314
उत्तर प्रदेश	3626.53	4811.24	5774.42	6573.82	8862.123

उत्तराखंड	324.23	458.27	533.61	581.73	369.487
पश्चिम बंगाल	2031.03	2618.71	2795.29	3042.66	3300.850
कुल	**33928.66**	**48032.40**	**55882.12**	**61408.15**	**68483.00**
वार्षिक पास संग्रहण	-	-	-	-	1795.18
कुल योग	**33,928.66**	**48,032.40**	**55,882.12**	**61,408.15**	**70,278.18**

अनुलग्नक ग

'राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल संग्रहण' के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे के द्वारा दिनांक 29.07.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1219 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा, जहां प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण बंद कर दिया गया है, का राज्य-वार विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**शुल्क प्लाज़ा की संख्या**	**बंद करने का कारण**
आंध्र प्रदेश	01	जन आंदोलन और कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण
गुजरात	01	भारी बारिश के कारण परियोजना राजमार्ग पर विकृति/क्षति उत्पन्न होने से राजमार्ग पर यातायात बंद रहा।
हिमाचल प्रदेश	02	भूस्खलन और अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा के कारण परियोजना राजमार्ग को भारी/व्यापक क्षति पहुंची है।
झारखंड	01	जन आंदोलन और कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण
केरल	01	मौजूदा 2 लेन राजमार्ग को 6 लेन राजमार्ग में विस्तारित करना और उसका चालू होना।
कर्नाटक	01	जन आंदोलन और कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण

*****